सं. V-11016/16/2009-आर्म्स

गृह मंत्रालयआंतरिक सुरक्षा-।। प्रभाग/शस्त्र अनुभाग

***

9वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली, दिनांक : 31 मार्च, 2010

सेवा में, सचिव (गृह विभाग),

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

विषय: शस्त्रों के अर्जन/रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना।

महोदय, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि देश में शस्त्रों के प्रसार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाने संबंधी उपबंधों की समीक्षा की गई है और सभी मौजूदा अनुदेशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

i) <u>निषिद्ध बोर (पी बी) हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना</u>

निषिद्ध बोर हथियारों के अर्जन के लिए शस्त्र लाइसेंसों पर केन्द्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय में विचार किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाए :

क) वे व्यक्ति, जिनकी जान को गंभीर और आसन्न खतरा केवल इस कारण से है कि वे ऐसे भौगोलिक क्षेत्र (अथवा क्षेत्रों) के निवासी हैं, जहां आतंकवादी अधिक सक्रिय हैं और/अथवा आतंकवादियों की नज़र में वे प्रमुख 'निशाने' पर बने हुए हैं और/अथवा आतंकवादियों के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए खतरे माने जाते हैं और इसलिए उनकी जान को खतरा है।

ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो अपने पद के कारण और/अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और/अथवा अपनी सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के कारण,

आतंकवादियों की नज़र में निशाना बन जाते हैं और उन पर आतंकवादी हमले होने की आशंका होती है।

ग) गैर-सरकारी/निजी व्यक्तियों सहित संसद सदस्य और विधायक, जो सरकार के आतंकवाद-रोधी कार्यक्रमों और नीतियों से नज़दीकी रूप से और/अथवा सक्रिय रूप से जुडे होने अथवा अपने किसी राजनैतिक अथवा किसी और प्रकार के मत, जो आतंकवादियों को नापसंद हों, के कारण स्वयं आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं।

घ) उन व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्य/निकटतम संबंधी, जो सरकार (पूर्व अथवा वर्तमान) में अपनी ड्यूटियों अथवा कार्य निष्पादन (पूर्व अथवा वर्तमान) अथवा पद की प्रकृति अथवा यहां तक कि ज्ञात/अज्ञात कारणों से अन्यथा निशाना बन गए हैं और आतंकवादियों द्वारा खत्म किए जाने हेतु उचित निशाने समझे जाने लगे हैं।

तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि निषिद्ध बोर हथियार प्रदान किए जाने के संबंध में उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के आवेदन संबंधित जिलाधीश की सिफारिशों, राज्य सरकार की सिफारिशों और पुलिस सत्यापन सहित गृह मंत्रालय (शस्त्र अनुभाग) को अग्रेषित किए जाएं।

ii) <u>गैर-निषिद्ध बोर (एन पी बी) हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना</u>

गैर-निषिद्ध बोर हथियारों के अर्जन संबंधी शस्त्र लाइसेंसों पर संबंधित राज्य सरकार/जिलाधीश द्वारा विचार किया जाता है। इस समय, गैर निषिद्ध बोर हथियार प्रदान किए जाने के संबंध में कोई मानदंड नहीं है तथा हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारें उदारतापूर्वक शस्त्र लाइसेंस प्रदान कर रही हों। यह निर्णय लिया गया है कि :

क) उन्हीं व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनकी जान को गंभीर खतरा है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए लाइसेंस प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से खतरे की दृष्टि से आकलन प्राप्त करेगा।

ख) पुलिस सत्यापन के बिना कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाए जिसमें इन विवरणों के बारे में रिपोर्ट शामिल होगी i) आवेदक के पूर्ववृत्त, ii) खतरे के आकलन, iii) शस्त्रों को संभालकर रखने की आवेदक की क्षमता और iv) अन्य कोई सूचना जिसे पुलिस प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान करने अथवा इनकार करने के लिए प्रासंगिक समझे। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2 क) के परन्तुक को हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

ग) पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाए कि वे 45 दिनों के भीतर अनिवार्यतः पुलिस रिपोर्ट भेजें जिसके न होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

घ) लाइसेंस प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे, आवेदक की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करता है, किसी सूचना/मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों अथवा किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है।

ङ) लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी, शस्त्र लाइसेंस मंजूर करने से पहले धारा 13 (2) के अंतर्गत मांगी गई पुलिस प्राधिकारियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखने के लिए बाध्य होगा तथा पुलिस सत्यापन के बिना कोई भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

iii) <u>पारिवारिक कुलागत नीति के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाना</u>

गृह मंत्रालय के दिनांक 28.02.1995 के पत्र सं. वी-11019/23/95-आर्म्स में निहित अनुदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर अथवा लाइसेंसधारी की उम्र 70 वर्ष होने पर अथवा लाइसेंसधारी के पास 25 वर्षों अथवा इससे अधिक की अवधि तक हथियार रखने पर मौजूदा

लाइसेंसधारी के कानूनी वारिस को लाइसेंस प्रदान किए जाने के बारे में है। सामान्यतः कानूनी वारिसों के दायरे में पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री आते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि कानूनी वारिस के दायरे में मौजूदा लाइसेंसधारी के दामाद, पुत्र-वधू, भाई और बहन को भी लाया जाए। तदनुसार, लाइसेंसधारी के उक्त संबंधियों के हथियार के अन्तरण संबंधी आवेदनों पर भी उक्त पत्र में निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

iv) **<u>गोलाबारूद की मात्रा</u>**

वर्तमान में एक निषिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंसधारी को, एक समय पर, 30 से अनधिक कारतूसों की खरीद की शर्त के अध्यधीन प्रति वर्ष समुचित बोर के 50 कारतूस खरीदने की अनुमति है। गैर निषिद्ध बोर हथियारों के संबंध में राज्य सरकारें अलग-अलग मानदंडों का अनुपालन करते हुए गोलाबारूद की अलग-अलग मात्राओं की अनुमति दे रही हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि एक सामान्य मानदंड निर्धारित करके लाइसेंसधारी द्वारा धारित निषिद्ध-बोर और गैर-निषिद्ध बोर हथियार के संबंध में प्रति वर्ष समुचित बोर की 50 कारतूसों की अनुमति दी जाए। तथापि, पारिवारिक कुलागत वस्तु नीति के अंतर्गत अनुमत निषिद्ध-बोर एवं गैर-निषिद्ध-बोर के हथियारों के बारे में गोलाबारूद की मात्रा 30 कारतूस प्रति वर्ष प्रतिबंधित की जाएगी, क्योंकि, साधारणतया वैध वारिसों को कोई खतरा नहीं होता है तथा उन्हें हथियार, भावनात्मक लगाव के आधार पर अंतरित किया जाता है। आपवादिक मामलों में, लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित राज्य के सचिव (गृह विभाग) के अनुमोदन से दिए गए सही एवं उपयुक्त कारणों के गुणावगुणों के आधार पर गोलाबारूद की उच्चतर मात्रा अनुमेय होगी।

v) **<u>गोला-बारूद के प्रयोग की सूचना देना</u>**

यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार लाइसेंसधारी द्वारा गोलाबारूद के प्रयोग पर सूचना का निर्धारण करे तथा सूचना प्रक्रिया का अभिकल्पन करे जिसके

तहत प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने गोलाबारूद के प्रयोग जैसे कि (i) प्रयोग की तारीख, (ii) स्थान, (iii) फायर की गई बुलेट की संख्या तथा (iv) उद्देश्य का रिकार्ड अपने पास रखे। लाइसेंसधारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान वर्ष में गोलाबारूद की खरीद से पहले गत वर्ष के दौरान गोलाबारूद के प्रयोग के बारे में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करे। इस प्रकार, एक वर्ष में गोलाबारूद की मात्रा को गत वर्ष में प्रयोग किए गए गोलाबारूद की मात्रा तक सीमित किया जाएगा ताकि किसी भी समय लाइसेंसधारी के पास गोलाबारूद की कुल मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक न हो। उदाहरणार्थ, खतरा अवबोधन श्रेणी के तहत यदि, किसी लाइसेंसधारी ने गत वर्ष के दौरान 50 कारतूसों के कोटा के मुकाबले एक भी गोलाबारूद इस्तेमाल नहीं किया, तो वर्तमान वर्ष के लिए नया कोटा देय न होगा। राज्य सरकारें इस संबंध में लाइसेंसधारियों एवं राज्य के सभी शस्त्र विक्रेताओं को समुचित अनुदेश जारी करे। प्रत्येक डी.एम. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा इस्तेमाल किए गए गोलाबारूद पर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर एक समेकित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

vi) **<u>प्रवासी भारतीयों को शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति</u>**

पारिवारिक कुलागत की श्रेणी से संबंधित मौजूदा अनुदेशों में प्रवासी भारतीय (ओ सी आई) शामिल नहीं है। परिवार में धारित हथियारों को रखने के संबंध में शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने के संबंध में प्रवासी भारतीयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नागरिकों के लिए मौजूदा पारिवारिक कुलागत श्रेणी के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को भी लाया जाए। एक प्रवासी भारतीय, वर्तमान कुलागत श्रेणी के अंतर्गत एक कानूनी वारिस होने के नाते हथियार का अर्जन कर सकता है। प्रवासी भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि वे शस्त्र अधिनियम/नियमों का पालन करेंगे और भारत छोड़ते समय हथियारों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उक्त को किसी पुलिस थाने में अथवा मान्यताप्राप्त शस्त्र विक्रेता के पास जमा कराएंगे।

vii) **<u>शस्त्र लाइसेंस की क्षेत्र वैधता</u>**

वर्तमान में राज्य सरकारों के स्तर पर गैर-निषिद्ध बोर लाइसेंसों की अखिल भारतीय वैधता की अनुमति देने के लिए उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार, अधिकतम तीन समीपस्थ राज्यों तक की क्षेत्र वैधता की अनुमति दे सकती है तथा राज्य स्तर पर (i) पदासीन केन्द्रीय मंत्रियों/संसद सदस्यों, (ii) सेना, अर्द्ध सैनिक कार्मिकों, (iii) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, (iv) भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और (v) खिलाड़ियों के अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर भी विचार कर सकती है। अखिल भारतीय वैधता 3 वर्ष के लिए अनुमत की जाए, जिसके बाद, आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और क्षेत्र वैधता या तो घटायी जा सकती है अथवा अगले तीन वर्षों तक जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदकों से प्राप्त अनुरोध को संबंधित राज्य के सचिव (गृह) के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे आवेदकों के मामले, जो उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, राज्य सरकार सुपात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय से पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। ऐसे मामलों में तीन वर्ष की अखिल भारतीय वैधता की अनुमति दी जानी चाहिए और गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति से राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के बाद इस पर पुनः विचार किया जाएगा। राज्य सरकार, तिमाही आधार पर अखिल भारतीय वैधता आंकड़े, गृह मंत्रालय को भेजें।

Viii) **<u>शस्त्र लाइसेंसों का नवीकरण</u>**

यह निर्णय लिया गया है कि नवीकरण करते समय पूर्व-वृत्तों का पुनः सत्यापन निम्नलिखित मामलों में पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से डी एम द्वारा किया जाएगा (i) उन मामलों में जिनमें डी एम/लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी को कोई संदेह है, (ii) अन्य मामलों में छः वर्ष के बाद अर्थात् प्रत्येक दूसरे साइकल के बाद जब लाइसेंस नवीकरण के लिए आता है, और (iii) उन सभी मामलों में जहां लाइसेंस इसे प्रदान करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अन्तिम उल्लिखित मामले में, नवीकरण किए जाने की अनुमति देने से पहले जारीकर्ता प्राधिकारी से लाइसेंस जारी किए जाने का सत्यापन भी पुलिस सत्यापन के साथ निर्धारित किया जाए। पुलिस प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए 60 दिन की अवधि दी

जाएगी। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे छः महीने पहले पुलिस पुनर्सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को सलाह देने की व्यवहार्यता की जांच करें क्योंकि किसी लाइसेंस का पूरा रिकार्ड जिला अधिकारियों के पास उपलब्ध होता है।

ix) **<u>खराब/त्रुटिपूर्ण हथियारों को बदलना</u>**

खराब अथवा त्रुटिपूर्ण हथियार बदलने के लिए किसी प्राधिकृत हथियार निर्माता/सक्षम प्राधिकारी से हथियार खराब होने/आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर कम से कम 45 दिनों का नोटिस दिए जाने के अध्यधीन खराब अथवा त्रुटिपूर्ण हथियार को बदलने की अनुमति दी जाए। किसी ऐसे लाइसेंसी के मामले में, जिसके हथियारों के लाइसेंस में लाइसेंसी के जीवन काल के दौरान हथियार बेचने का निषेधात्मक खंड है (सामान्यतया आयातित हथियारों के मामले में), ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी से खराब/आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सीमा-शुल्क विभाग/राजस्व विभाग के साथ परामर्श करने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इसे बदले जाने पर विचार किया जा सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार पुराने हथियार लौटाए जाने/ निपटान कर दिए जाने के बाद लाइसेंस पर नया हथियार दिया जाएगा।

x) **<u>अप्रचलित, अप्रयुक्तप्राय, जब्त, कुर्क और बरामद किए गए हथियारों का भंडारण / निपटान:</u>**

अप्रचलित/अप्रयुक्तप्राय, जब्त, कुर्क और बरामद किए गए निषिद्ध बोर के हथियारों के साथ-साथ गैर निषिद्ध बोर के हथियारों के भण्डारण और निपटान के लिए पृथक-पृथक अनुदेश विद्यमान हैं। निषिद्ध बोर के जो हथियार मरम्मत करने योग्य हैं, वे गृह मंत्रालय (प्रोविजनिंग प्रभाग) द्वारा सेना/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों/राज्य पुलिस को आबंटित किए जा सकते हैं। मरम्मत योग्य गैर-निषिद्ध बोर के हथियारों को उन पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया जा सकता है जिनके पास हथियारों का लाइसेंस हो और यह इस संबंध में यथानिर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अध्यधीन होगा। खराब हथियारों

को यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उनका निपटान कर दिया जाएगा। अप्रचलित, अप्रयुक्तप्राय, जब्त किए गए, कुर्क और बरामद किए गए हथियारों की वार्षिक लेखा परीक्षा निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

xi) **<u>जारी किए गए लाइसेंसों का डाटाबेस</u>**

इस समय ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो कि वह जारी किए गए लाइसेंसों का विस्तृत और पूरा डाटाबेस रखे। एक ऐसा डाटाबेस रखने का निर्णय लिया गया है जिसे विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और केन्द्र सरकार के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाएगा जो फिर राष्ट्रीय डाटाबेस बनाएगी। पी बी हथियारों के डाटा सहित राष्ट्रीय डाटाबेस,केन्द्रीय तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। तदनुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अनके द्वारा जारी किए गए सभी लाइसेंसों के विस्तृत और पूरा डाटाबेस रखने संबंधी अनुदेश जारी किए जाएं, जिन्हें केन्द्र सरकार के साथ आदान-प्रदान किया जाए।

उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डी. दीप्तिविलासा)संयुक्त सचिव, भारत सरकार